न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–96 सन् 2019

शिवपुजन राय वो अन्य.....वादीगण।

बनाम

शिवमंगल राय वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक–22.09.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख प्रतिवादी फरीक–1 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 07.06.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी फरीक–1 का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी फरीक–1 शिवमंगल राय को जवाब दाखिल करना था परंतु समय पर जवाब दाखिल नहीं हो सका। जिसके वजह से न्यायालय से जवाब देने से वंचिक कर दिया गया। प्रतिवादी फरीक 01 शिव मंगल राय जवाब दाखिल कर रहा है। जवाब स्वीकार होना न्यायहित में आवश्यक है। जवाब स्वीकार नहीं होने से प्रतिवादी फरीक–1 शिव मंगल राय को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि न्यायालय के आदेश को वापस लेकर प्रतिवादी फरीक–1 का जवाब स्वीकार करने की कृपा प्रदान की जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। जिसमें उनका कथन है कि जिस उनवान वो बेयान से प्रतिवादी फरीक–1 ने अपना आवेदन दाखिल किया है काबिल खारिज के हैं। प्रतिवादी फरीक–1 को इस मोकदमा की जानकारी न्यायालय के माध्यम से वो रजिस्ट्री द्वारा उनके घर के पते से नोटिस भेजा गया था फिर भी प्रतिवादी सं0 01 न्यायालय द्वारा दिए गए निश्चित तिथि को हाजिर नहीं हुए। प्रतिवादी फरीक 01 दोनों नोटिस भेजने के पश्चात् भी हाजिर न्यायालय में नहीं हुए तो न्यायालय द्वारा प्रकाशन का आदेश लेकर दैनिक समाचार पत्र, प्रभात खबर में दिनांक 05.02.2021 को नाटिस प्रकाशित किया गया। प्रतिवादी फरीक 01 दैनिक समाचार पत्र, प्रभात खबर में नोटिस प्रकाशन के बावजुद जानकारी होते भी न्यायालय द्वारा निश्चित तिथि 16.03.2021 समय दस बजे न्यायालय में न स्वयं हाजिर हुए न अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हए तो माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी फरीक 01 को एक्स पार्टी कर दिया गया। प्रतिवादी फरीक 01 जानबुझकर न्यायालय के कीमती समय को नष्ट की है। प्रतिवादी सं0 01 के विरूद्ध मो0 सं0–96/ 2019 में दाखिल होता है और प्रतिवादी सं0 01 बावजूद जानकारी 07.06.2022 को जो तीन साल बाद हाजिर होकर बयान तहरीरी

स्वीकार करने का आवेदन दिया जो जो हरगिज कानूनी बिन्दु पर स्वीकार होने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी सं0 01 के माता आयना देवी जौजे–बिहारी राय को तथा जरसम्मन देकर दिनांक 14.03.1996 को वादी सं0 01 वो 06 ने अपने–अपने पत्नी के नाम से बैनामा कराकर दखल कब्जा में रहते चले आ रहे हैं। इसी बैनामा में प्रतिवादी फरीक 01 गवाह है। प्रतिवादी फरीक 01 द्वारा दिनांक 07.06.2022 में दिए आवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदन स्वीकृत नहीं होने पर अपूर्णिय क्षति होगी। ऐसी बात नहीं है कि उनके और उनके मां आयना देवी द्वारा अपने हक की भूमि को पूर्व में ही बेच दिया जाता है तो उनके पास तो इंच भर भूमि शेष नहीं रह जाता है तो अपूर्णिय क्षति का सवाल ही नहीं रह जाता है। जिस कारण भी प्रतिवादी फरीक सं0 01 का आवेदन खारिज के योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी फरीक सं0 01 का आवेदन दिनांक 07.06.2022 को साथ खर्चा खारिज करने की कृपा करें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद में प्रतिवादी फरीक 01 शिवमंगल राय दिनांक 07.06.2022 को करीब तीन साल बाद हाजिर होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल कर रहे हैं। वाद के अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा दिनांक 05.02.2021 को पेपर प्रकाशन कराया गया परंतु प्रतिवादी उक्त वाद में हाजिर नहीं है जिसके कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2021 वाद एकपक्षीय निर्धारित किया गया। तत्पश्चात्, प्रतिवादी फरीक 01 दिनांक 07.06.2022 को उक्त वाद में अपना जवाब दाखिल कर संघर्ष करना चाहते हैं। प्रतिवादी फरीक 01 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 07.06.2022 को वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए स्वीकृत किया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी सं0 01 शिवमंगल राय की ओर से दाखिल उक्त आवेदन को 1000/– रूपये खर्चा के साथ न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी फरीक 01 खर्च की राशि वादी को प्रदान करें।

वाद दिनांक..... वास्ते 89 सी0पी0सी0 के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।